केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं.130/टीएल/2023 दिनांक: 6.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "अंतर–प्रादेशिक ईआर–डब्ल्यूआर अंतरसंयोजन"हेतुअंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	जयपोर–जगदलपुर 400केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/ एएएसी/एएल 59 मूज़ समकक्ष)	एसपीवी अंतरण या सितम्बर, 2024, जो भी बाद में हो, की तारीख से 24 मास	क्रम सं.1, 2 और 3 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	400/220केवी जयपोर (पावरग्रिड) सब–स्टेशन) पर 400केवी जीआईएस लाइन बे –2नंबर		
3.	जगदलपुर (सीएसपीटीसीएल) सब–स्टेशन पर 400केवी लाइन बे –2नंबर		

नोटः

(क) पावरग्रिड, जयपोर–जगदलपुर 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज़ समकक्ष) के समापन के लिए जयपोर 400 केवी सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

(ख) सीएसपीटीसीएल, जयपोर–जगदलपुर 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज समकक्ष) के समापन के लिए जगदलपुर 400 केवी सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

(ग) उपर्युक्त लाइनों की लंबाई सन्निकट है चूंकि सही लंबाई विस्तृत सर्वेक्षण के बाद प्राप्त होगी।

(घ) कार्यान्वयन की अनुसूची एसपीवी अंतरण या सितम्बर, 2024, जो भी बाद में हो, की तारीख से 24 मास होगी।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 290.07 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 1.5.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 130/टीएल/2023 में दिनांक 5.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जानें हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **19.7.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक **21.7.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह पृथी)

सचिव